जनपद बाराबंकी

दिनांक- 30.04.2025

थाना सतरिख पुलिस टीम द्वारा चोरी की 02 घटनाओं का अनावरण कर 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही से चोरी का स्मार्ट फोन, मोबाइल, नेकबैण्ड, स्मार्ट वाच, डीवीआर का केबल/पार्ट, अवैध तमंचा, घटना कारित करने में प्रयुक्त वाहन बरामद-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री अर्पित विजयवर्गीय द्वारा जनपद में चोरी की घटनाओं/अपराध पर प्रभावी नियंत्रण लगाने एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.04.2025 को थाना सतरिख पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलीजेन्स की मदद से अभियुक्त दिवाकर पुत्र रामसनेही यादव निवासी भड़िहर पुरवा मजरे सिकन्दरपुर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी को भिटौली बार्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशांदेही से एक अदद स्मार्ट फोन, दो अदद की-पैड मोबाइल, दो अदद ब्लूटूथ नेक बैण्ड डिवाइस, दो अदद स्मार्ट वाच, एक अदद लोहे का सब्बल, एक अदद प्लास, डीवीआर का पावर केबल/पार्ट, एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस, घटना कारित में प्रयुक्त मारूती कार UP 32 BX 1932 बरामद किया गया। अवैध तमंचा की बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना सतरिख पर मु0अ0सं0 207/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ एवं जांच में ज्ञात हुआ कि गिरफ्तार अभियुक्त अपने दो अन्य साथियों रामतेज पुत्र अमर सिंह निवासी सुरियामऊ नयापुरवा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ (गिरफ्तार अभियुक्त का रिश्ते में साला) व महेन्द्र पुत्र विश्वनाथ निवासी भड़िहर पुरवा मजरे सिकन्दरपुर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर बारामद कार से रेकी करने के पश्चात दुकानों/घरों को चिन्हित कर चोरी की घटना कारित करते हैं। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 11/12.03.2025 की रात्रि कमरपुर सरैया स्थित मोबाइल की दुकान व कास्मेटिक की दुकान से मोबाइल व स्मार्ट वाच तथा नकदी तथा दिनांक 01.04.2025 को कमरपुर स्थित वी0एस0 ट्रेडर्स गल्ला की दुकान से सीसीटीवी डीवीआर व केबल चोरी की गयी थी। जिस सम्बन्ध में थाना सतरिख पर मु0अ0सं0 145/2025 धारा 305 बीएनएस थाना सतरिख जनपद बाराबंकी, मु0अ0सं0 173/2025 धारा 305 बीएनएस थाना सतरिख जनपद बाराबंकी पंजीकृत हैं। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दिवाकर पुत्र रामसनेही यादव निवासी भड़िहर पुरवा मजरे सिकन्दरपुर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी

बरामदगी-

1. एक अदद स्मार्ट फोन
2. दो अदद की-पैड मोबाइल
3. दो अदद ब्लूटूथ नेक बैण्ड डिवाइस
4. दो अदद स्मार्ट वाच
5. एक अदद लोहे का सब्बल
6. एक अदद प्लास
7. घटना में प्रयुक्त मारूती कार UP 32 BX 1932
8. एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस
9. डीवीआर का पावर केबल/पार्ट

अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 145/2025 धारा 305 बीएनएस थाना सतरिख जनपद बाराबंकी
2. मु0अ0सं0 173/2025 धारा 305 बीएनएस थाना सतरिख जनपद बाराबंकी

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त दिवाकर पुत्र रामसनेही यादव निवासी भड़िहर पुरवा मजरे सिकन्दरपुर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी

1. मु0अ0सं0 299/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सतरिख जनपद बाराबंकी
2. मु0अ0सं0 8/2024 धारा 379/411 भादवि थाना सतरिख जनपद बाराबंकी
3. मु0अ0सं0 12/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सतरिख जनपद बाराबंकी
4. मु0अ0सं0 1137/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी
5. मु0अ0सं0 145/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना सतरिख जनपद बाराबंकी
6. मु0अ0सं0 173/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस बीएनएस थाना सतरिख जनपद बाराबंकी
7. मु0अ0सं0 207/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सतरिख जनपद बाराबंकी

पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री अमर चौरसिया थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।
2. उ0नि0 श्री आशीष दीक्षित, उ0नि0 श्री शिवसिंह पाल थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।
3. हे0का0 यतीश कुमार हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।
4. का0 कुलदीप सिंह थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।
5. का0 पवन कुमार, का0 अभिषेक सिंह थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।
6. हे0का0 चालक विजय यादव थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।